

NGT ने ठोस अपशष्टि फेंकने पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय हरति अधिकरण \(National Green Tribunal- NGT\)](#) ने उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में [अपशष्टि फैलाने या ठोस अपशष्टि डालने](#) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- न्यायालय के अनुसार, उल्लंघनकर्ता को पहली बार में 5,000 रुपए का पर्यावरण मुआवज़ा देना होगा, तथा आगे भी अपशष्टि फेंकने अथवा ठोस अपशष्टि डालने की घटनाओं पर 10,000 रुपए का मुआवज़ा देना होगा।
- यदि कोई थोक अपशष्टि उत्पादक, रियायतग्राही, शहरी स्थानीय निकाय या कोई अन्य व्यक्ति भारी मात्रा में अपशष्टि फैलाते या डंप करते हुए पकड़ा जाता है, तो पहली बार अपराध करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उसके बाद के किसी भी अपराध के लिये 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- NGT ने यह आदेश राप्ती नदी के तटबंध पर अपशष्टि डाले जाने से जल प्रदूषण होने संबंधी याचिका पर पारति कथि।

राष्ट्रीय हरति अधिकरण (National Green Tribunal- NGT)

- यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी व शीघ्र नपिटान के लिये [राष्ट्रीय हरति अधिकरण अधिनियम, 2010](#) के तहत स्थापति एक विशेष निकाय है।
- ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड के बाद, भारत राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) के गठन के साथ एक समर्पति पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापति करने वाला विश्व का तीसरा देश और पहला वकिसशील देश बन गया।
- राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) को आवेदनों अथवा अपीलों का अंतिम रूप से नपिटान दायर होने के 6 महीने के भीतर करना अनविरय है।
- राष्ट्रीय हरति अधिकरण (NGT) के पाँच बैठक स्थान हैं, नई दलिली इसकी मुख्य बैठक स्थान है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अन्य चार हैं।